: प्रस्तावना :

यह स्थायी आदेश श्री एस. के. मुखोपाध्याय, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), बम्बई तथा प्रमाण कर्ता अधिकारी द्वारा मौलिक रूप से मे. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर (म. प्र.)/महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, बुर्ला, सम्बलपुर के संबंध में दिनांक ८. ७. १९९१ को प्रमाणित किया गया था।

उपरोक्त आदेश फिर से श्री जी. आर. माझी, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) तथा अपील अधिकारी द्वारा कुछ यूनियन और प्रबंध के द्वारा अपील दाखिल करने पर कुछ खंड (वाक्यांश) के संशोधन करने के पश्चात् दिनांक ५. ११. ९२ को प्रमाणित तथा अभिप्रमाणित किया गया।

इस पुस्तक में शक्तियों का प्रत्यायोजन/अपील आदि के संबंध में जारी किये गये परिपत्र/शुद्धपत्र/अनुशेष संलग्नित किया गया है।

अंग्रेजी से हिन्दी रूपान्तरण अधिक से अधिक संभव पूर्णता से किया गया है। इसके अलावा यदि किसी खंड या वाक्यांश/शब्द के बारे में शंका हो तो मूल अंग्रेजी की प्रति को ही सही माना जाय।

मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर म. प्र./महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, बुर्ला, सम्बलपुर के संबंध में स्थायी आदेश

१. प्रारम्भ और विनियोग :-

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाने वाली तिथि से यह स्थायी आदेश लागू होगा तथा देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित, जो कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ में बतायी गई परिभाषा के अनुसार औद्योगिक संस्थानों के रूप में परिभाषित हैं, मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स. लिमिटेड/महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की सभी इकाइयों में नियुक्त सभी कामगारो जिसमें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता द्वारा शासित सभी कामगार सम्मिलित हैं, पर लागू होगा।

अधिनियम की धारा -१३ बी के अधीन जिन कामगारों को छूट दी गई है उन पर यह स्थायी आदेश लागू नहीं होगा।

२. परिभाषा:

२.१ "उपस्थिति" का आशय सम्बंधित कामेगार का उस स्थान पर उपस्थित रहना है, जहाँ उन्हें रोजगार की शर्तों के अनुसार क़ार्य के लिए रिपोर्ट करना अपेक्षित है तथा वे अपनी उपस्थिति अंकित करते हैं।

२.२ "कम्पनी" का आशय साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड/महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है।

२.३ "सक्षम प्राधिकारी" का आशय ऐसे अधिकारी से है, जिसे सम्बन्धित अध्यक्ष/प्रबन्धनिदेशक द्वारा इस स्थायी आदेश के उद्देश्य से लिखित रूप में आदेश देकर विशेष रूप से नामित किया गया हो। इस प्रकार के आदेश की प्रतिलिपि सूचना पट्ट पर लगायी जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपि पंजीकृत श्रमिक संघ को दी जाएगी।

२.४ "नियोक्ता" का आशय औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के अधीन बताया गया है।

२.५ "संस्थान" का आशय कम्पनी के अधीन औद्योगिक संस्थान से है।

२.६ सन्दर्भ के अनुसार श्रमिक शब्द से महिला और पुरुष दोनों ही प्रकार के श्रमिकों का बोध होना है।

२.७ "खदान" का आशय खदान अधिनियम, १९५२ में यथा परिभाषित खदान से है।

२.८ "चिकित्सा अधिकारी" का आशय कम्पनी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कम्पनी के किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी से है।

२.९ "सूचना-पट्ट" का आशय ऐसे सूचना पट्ट से है, जो कि प्रत्येक खदान/संस्थान में स्थायी आदेश के उद्देश्य से विशेष रूप से लगाया गया है।

२.१० "कामगार" का आशय औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश अधिनियम, १९४६) में यथा परिभाषित कामगार से है।

२.११ "वेतन" का आशय मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ में यथा परिभाषित वेतन से है।

२.१२ एक वचन शब्द में बहु वचन और बहु वचन शब्द में एक वचन शब्द का समावेश है।

३. कामगारों का वर्गीकरण :

३.१ इन स्थायी आदेशों के उद्देश्य के लिए कामगारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

(क) प्रशिक्षु (अप्रेंटिस)

(ख) बदली या एवजी

(ग) आकस्मिक (कैजुअल)

(घ) स्थायी

(ङ) परिवीक्षार्थी

(च) अस्थायी